

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला
नीमकाथाना (राज.)

मिसल नम्बर :- 199 / 2023

पीठासीन अधिकारी :- जयसिंह, आर.ए.एस.

किस्म प्रार्थना पत्र :- अधारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

खोहन लाल S/O डेडा राम जालि मजर नि 0 लाल (रूजपुर)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज0)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.9.23	<p>आज यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत बाद जांच तहसीलदार खेतड़ी के प्रार्थी/प्रार्थीया की ओर से पेश हुआ। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। प्रार्थी/प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.09.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(Handwritten signature)

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी